न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 07/2018 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2018/00092

उनवान

1. रामविलास उम्र 50 साल पुत्र रामचरन
2. ज्योतिप्रसाद उम्र 70 साल
3. रामजीलाल उम्र 68 साल
4. तेज सिंह उम्र 65 साल — पुत्र श्री जीवाराम
5. विजेन्द्र उम्र 63 साल
6. रामनिवास उम्र 58 साल
7. रामबरन उम्र 48 साल
8. दशरथ उम्र 40 साल — पुत्र श्री हरकण्ठ
9. सुखवीर उम्र 28 साल

जाति गुर्जर नि0 करका खेरली तह0 राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. महेशचन्द
2. महेन्द्र सिंह — पुत्रगण फैरन
3. लाखन सिंह
4. सुल्तान सिंह
5. मुकेश
6. महावीर
7. आशाराम पुत्र निहाल सिंह
8. गोपाल पुत्र भगवंत
9. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार, तहसील राजाखेडा।

जाति गुर्जर निवासी करका खेरली तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा दिनांक 06.06.18 उनवानी रामविलास बनाम महेशचन्द वगै0 मु0न0 26/18

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री सुरेश श्रीवास्तव उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री दिनेश शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 03.07.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के आदेश दिनांक 06.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध रैस्पो0/अप्रार्थीगण के साथ प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलाण्ट/प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 273 जिसका गत नम्बर 298 है; से रैस्पो0/अप्रार्थीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। रैस्पो0/अप्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 236 है, जो अपीलाण्ट/प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 237 के दक्षिणी ओर स्थित है। अपीलाण्ट/प्रार्थीगण अपने खसरा नम्बर 236 पर काबिज है। रैस्पो0/अप्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर खसरा नम्बर 236 व 237 को विभाजित करने वाली रेखा को राजस्व नक्शें में समाप्त करा दिया है। इस प्रकार अवैध नक्शें की आड में रैस्पो0/अप्रार्थीगण पटवारी हल्का, पुलिस सहयोग से सीमांकन कराकर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। अवैध नक्शें के आधार पर सीमा ज्ञान कराने के आदेश दिनांक 29.05.2018 को करा लिये हैं। यदि अवैध नक्शे के आधार से रैस्पो0/अप्रार्थीगण ने सीमाज्ञान करा लिया तो वह पुलिस इमदाद से जबरन अपीलाण्ट/प्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा कर लेंगें तथा अपीलाण्ट/प्रार्थीगण को आराजी से बेदखल कर देंगें। जिससे अपीलाण्ट/प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट को तलब किया गया। दोनों पक्षो के अधिवक्तागणों की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरित पारित किया है, जो काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प में पत्रावली रखने बाबत् अपीलाण्ट को कतई सूचित नहीं किया जाकर उनकी बैक पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31.05.2018 को प्रथम दृष्टया केश व सुविधा संतुलन तथा अपरमित क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में मानकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी थी तत्पश्चात् आगामी पेशी दिनांक 06.06.2018 नियत की गयी। राजस्व लोक अदालत कैम्प में ना तो रैस्पो0/अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, फिर क्या परिस्थितियॉ पैदा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हुई जिनसे तीनो बिन्दु अपीलाण्ट के विरूद्ध पाये गये और पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश निरस्त कर दिया। अतः उक्त आदेश अविवेकपूर्ण व मनमाने ढंग से कार्य करने की पुष्टि करता है, जो न्याय संगत नहीं है तथा काबिल खारिजी है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2016–17(सप्ली.) पेज 566 का हवाला देते हुए, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए, मूल प्रकरण के निस्तारण तक अपीलाण्ट को विवादित आराजी खसरा नम्बर 237 के कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करने व मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु रैस्पो0/अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट व रैस्पो0 के आराजी खसरा नम्बर 237 व 236 आपस में मिले हुये हैं। अपीलाण्ट स्थगन आदेश की आड में रैस्पो0 के कब्जे व खातेदारी की आराजी को जबरन हडपना चाहते हैं। इसलिये रैस्पो0 ने खसरा नम्बर 236 की पैमाईश के लिये तहसीलदार, राजाखेडा के यहॉ प्रार्थना पत्र पैमाईश दिया तथा पैमाईश के लिये चालान से रकम भी जमा करा दी गयी है तथा आराजी खसरा नम्बर 236 की पुलिस की मौजूदगी में दिनांक 15.06.2018 को पैमाईश हो चुकी है तथा मौके पर गुड्डी लगवाई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि **प्रार्थना पत्र 136 भू राजस्व अधिनियम के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मैनटेनेबिल नहीं था ना ही उसकी अपील मैनटेनेबिल है।** भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है ना ही वह मैनटेनेबिल ही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र उचित रूप से सही खारिज किया है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे0 (14) 2007 पेज 640 का उद्धरण पेश करते हुए अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभिभाषक उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रमुख रूप से इस आधार पर कि दिनांक 31.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 02.07.2018 तक जारी करते समय अग्रिम पेशी दिनांक 02.07.2018 नियत की गयी थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नियत पेशी दिनांक 02.07.2018 से पूर्व ही, उन्हें सूचित किये बिना प्रकरण दिनांक 06.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प दिहोली में रखकर, उन्हें बिना सुने अन्तिम निस्तारण करना बताते हुए प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली का अवलोकन दर्शाता है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2018 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि **"पक्षकार हाजिर, सुनवाई एवं समझाईश की गयी। दोनों पक्षो को सुना गया। उन्होनें अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत मजमे आम किया"** अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की उपरोक्त आदेशिका के विरूद्ध कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत अपील में नहीं रखा गया है। इस तथ्य को जब तक गलत नही माना जा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सकता, जब तक इन्हें किसी दस्तावेजी साक्ष्य से गलत सिद्ध नही कर देते। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध आक्षेप प्रत्यक्षतः तर्क संगत मालूम नहीं होते हैं। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2016–17(सप्ली.) पेज 566 एक पक्षीय निर्णय बाबत् है। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय होना स्पष्ट नहीं है। अतः यह नजीर अपीलाण्ट को कोई लाभ पहुॅचाने की स्थिति में नहीं है।

6. धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पठन स्पष्ट करता है कि इस धारा अन्तर्गत व्यादेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में ही लागू हो सकते हैं। योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट ऐसी कोई विधि बता पाने में असमर्थ रहे हैं, जो प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को भू राजस्व अधिनियम 1956 की कार्यवाही में सुसंगत बतावें।

7. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलाधीन आदेश में, किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता उचित नही समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य पाते हैं।

8. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के आदेश दिनांक 06.06.2018 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 03.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official